

प्रस्ताव हेतु अनुरोध : जंगपुरा एक्सटेंशन में फ्लैटों का सिविल, पेंटिंग, इंटीरियर एवं मरम्मत कार्य

आरएफपी संदर्भ सं. – रा.आ.बैंक(नदि)/परिसर/ आउट 02550/2021 दिनांकित 25 मई, 2021

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) - जंगपुरा एक्सटेंशन में फ्लैटों का सिविल, पेंटिंग, इंटीरियर एवं मरम्मत कार्य

उप महाप्रबंधक
परिसर विभाग
मुख्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5-ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड,
नई दिल्ली – 110 003
फोन: 011-39187149
ई-मेल: sachine.sharma@nhb.org.in

1. महत्वपूर्ण बोली विवरण		
1.	बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री प्रारंभ करने की तिथि	25.05.2021
2.	बोलीदाताओं के साथ बोली पूर्व बैठक और स्थल के दौर की तिथि एवं समय	02.06.2021 : 1130 बजे
3.	बोली दस्तावेजों की बिक्री की अंतिम तिथि और समय	07.06.2021 : 1800 बजे
4.	बोली दस्तावेजों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय	07.06.2021 : 1800 बजे
5.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय	08.06.2021 : 1130 बजे
6.	बयाना जमा राशि (अप्रतिदेय, कृपया खंड 5.11 देखें)	20,000/-
7.	बोलियों की पूर्व बोली बैठक/खोलने का स्थान	परिसर विभाग मुख्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक कोर 5-ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003

नोट: -

- बोलियों को उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उपरोक्त में भाग लेना चाहेंगे। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। किसी भी परिवर्तन की सूचना या रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करने पर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, कृपया ध्यान दें कि वाणिज्यिक बोली खोलने की तिथि, समय और स्थान बाद की तारीख में तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को सूचित की जाएगी।
- इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्य/कंपनी के माध्यम से प्रस्तुत सभी डाटा/सूचना को रिपोर्ट किया जाएगा एवं इस आरएफपी के प्रकाशन की तारीख को माना जाएगा।

2. राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में

प्रस्ताव हेतु अनुरोध : जंगपुरा एक्सटेंशन में फ्लैटों का सिविल, पेंटिंग, इंटीरियर एवं मरम्मत कार्य

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), भारत सरकार के संपूर्ण स्वामित्व में एक सांविधिक संगठन है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (“अधिनियम”) के तहत की गई है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु की गई है:

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना
- आवास हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्ति कर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

ख.

ग. रा.आ.बैंक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और अहमदाबाद में है।

3. कार्य क्षेत्र:

बैंक लोधी रोड, नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में निम्नलिखित कार्यों हेतु बोलियां आमंत्रित करता है।

- बीओक्यू में परिभाषित मरम्मत/नवीनीकरण/लकड़ी का कार्य/स्वच्छता संबंधी कार्य आदि।
- पेंटिंग कार्य
- बीओक्यू में परिभाषित अन्य कार्य।
- आंतरिक कार्य, दो केबिन कार्य-क्षेत्र में परिभाषित परिमाणानुसार वेंडर द्वारा तथा बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट डिजाइन के अनुसार बनाए जाएंगे।
- कार्य मामले में लागू सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल/प्रकाशन में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

क. पेंटिंग कार्य

ख. मरम्मत कार्य:

प्रस्ताव हेतु अनुरोध : जंगपुरा एक्सटेंशन में फ्लैटों का सिविल, पेंटिंग, इंटीरियर एवं मरम्मत कार्य

- बीओक्यू में वर्णित अनुसार अनुमोदित सभी जंग लगे/क्षतिग्रस्त/टूटे हुए कार्पेट्री, टाइलें, प्लम्बिंग, बिजली एवं मेसोनरी फिटिंग तथा फिक्सचर की मरम्मत/बदलावा।

ग. मेसोनरी कार्य:-

- बीओक्यू में वर्णित क्षतिग्रस्त भाग के लिये 8 एमएम मोटी दीवार की टाइलें उपलब्ध कराना और उसे लगाना।

घ. बिजली फिक्सचर एवं फिटिंग का प्रतिस्थापन:-

बीओक्यू में वर्णित बिजली के तारों, फिक्सचर का प्रतिस्थापन।

कार्य निष्पादन के दौरान बोलीदाताओं को सीपीडब्ल्यूडी के बिजली कार्य (आंतरिक) हेतु सामान्य विशिष्टता के नवीनतम संस्करण में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

4. दोषपूर्ण देयता अवधि

दोषपूर्ण देयता अवधि हेतु कृपया अंग्रेजी आरएफपी का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

5. बोलीदाताओं के लिए निर्देश

5.1 सामान्य:-

- बोलीदाताओं द्वारा उत्तरों के विकास, तैयारी एवं प्रस्तुति बैठक, परिचर्चा, प्रदर्शन इत्यादि में उपस्थिति तक ही सीमित नहीं; इससे किसी भी तरह जुड़े एवं राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अतिरिक्त सूचना प्रदान करने में खर्च की गई सभी लागत एवं व्यय पूरी तरह व विशेष रूप से बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।
- बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के अलावा, संविदात्मक करार के निष्पादन तक बोलीदाताओं एवं रा.आ.बैंक में से किसी के भी बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं होंगे। बोलियों के मूल्यांकन एवं उनको अंतिम रूप देने के एवं सफल बोलीदाता की पहचान के पश्चात सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोलीदाता द्वारा निश्चित समझौता के भाग हेतु होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत बोली के संबंध में कथोक्त संविदा पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी कार्य/चूक हेतु उन पर बाध्य होगा।
- प्रत्येक बोलीदाता मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र बोलीदाताओं को छांटने/चयन करने में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध : जंगपुरा एक्सटेंशन में फ्लैटों का सिविल, पेंटिंग, इंटीरियर एवं मरम्मत कार्य

- प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करके, इस आरएफपी की शर्तों और अस्वीकरण को स्वीकार करने वाला माना जाएगा।
- बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें:

नाम: सचिन शर्मा पदनाम: प्रबंधक ईमेल आईडी: sachin.sharma@nhb.org.in फोन नंबर: + 91-11- 39187149	नाम: सौरव सील पदनाम: उप महाप्रबंधक ईमेल आईडी: sourav.seal@nhb.org.in फोन नंबर: + 91-11-39187104
---	--

- राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी/निविदा बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी बोलीदाता/बोलीदाताओं से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं बोलीदाता के प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराई जानी अत्यंत आवश्यक होगी।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।
- यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि प्रश्न का प्रवर्तक प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास सभी बोलीदाताओं को ऐसे उत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- यदि कोई पूछताछ/स्पष्टीकरण हो तो उपर्युक्त संपर्क व्यक्ति/व्यक्तियों से सोमवार से शुक्रवार, सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर प्रातः 1030 से सायं 1730 बजे तक बोलियों के प्रस्तुत करने की समय-सीमा के पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- बोलीदाता को सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सांविधिक, विनियामक, पीएसयू या पीएसबी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित या असूचीबद्ध नहीं किया गया हो।
- रा.आ. बैंक अपनी आरएफपी के परिणाम के मुमकिन होते ही सभी शार्ट लिस्ट बोलीदाताओं को लिखित रूप में अथवा मेल के द्वारा या उसे अपनी वेबसाइट में प्रकाशित करके सूचित करेगा। रा.आ. बैंक ऐसी किसी भी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कोई कारण देने के लिए बाध्य नहीं है।

5.2 बोली पूर्व बैठक (वर्चुअल प्लेटफोर्म पर, जिसकी सूचना वेबसाइट पर दी जायेगी)

इस निविदा/आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ, रा.आ.बैंक आरएफपी में इंगित की गई तिथि व समय पर बोली पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न लिखित में ईमेल द्वारा या पोस्ट द्वारा उपरोक्त पते पर 1100 बजे तक या इसके पहले पहुंच जाना चाहिए। यह भी ध्यान दें कि किसी भी बोलीदाता के पूर्व बोली बैठक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली पूर्व बैठक में दिया जाएगा। बोलीदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि को ही बोली पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी।

प्रस्ताव/बोली जमा करने से पूर्व, वेंडर पूर्व बोली बैठक के लिए निश्चित किए गए दिन रा.आ.बैंक मुख्यालय की साइट पर जा सकते हैं, जहाँ यह कार्य निष्पादित किया जाना है।

5.3 निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति

निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति रा.आ.बैंक की वेबसाइट <http://www.nhb.org.in> पर उपलब्ध कराई जाएगी।

5.4 निविदा/आरएफपी की अहस्तांतरणीयता

यह निविदा / आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

5.5 विलोपन अथवा परिवर्तन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। रा.आ.बैंक के विवेक पर तकनीकी बोलियों में किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरिलेखन को केवल विचार किया जाएगा, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। हालाँकि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी तरीके से कोई अंतरालेखन, विलोपन या उपरिलेखन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखित सामग्री, सुधार अथवा संशोधन न हो। तकनीकी विवरण पूरी तरह भरा हो। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी जाये। “ठीक”, “स्वीकृत”, “विख्यात”, जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालाँकि, रा.आ.बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरूपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ.बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

5.6 बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन

- बोलियों की प्रस्तुति की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक किसी कारण के लिए संशोधन या शुद्धिपत्र द्वारा बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन कर सकता है।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध : जंगपुरा एक्सटेंशन में फ्लैटों का सिविल, पेंटिंग, इंटीरियर एवं मरम्मत कार्य

- संशोधनों को रा.आ.बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in पर दर्शाया जाएगा।
- सभी बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरएफपी में सभी संशोधन/वृद्धि (यदि कोई हो) बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। किसी बोलीदाता द्वारा किसी प्रकार चूक के मामले में रा.आ.बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ.बैंक अपने विवेक पर बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।
- किसी भी प्रकार के संप्रेषण में कमी के लिए रा.आ.बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में आरएफपी को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

5.7 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं रा.आ.बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखी जाएगी।

5.8 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास आरएफपी में विनिर्दिष्ट मात्रा में परिवर्तन करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आवास बैंक के समय-समय के पास इस आरएफपी में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

5.9 बोली में शामिल किये जाने वाले दस्तावेज (प्रारूपों में अलग से निर्दिष्ट निर्देशों का कृपया अनुसरण करें, यदि कोई हो)

1. अनुलग्नक I में निर्धारित प्रारूप में बोलीदाता की जानकारी;
2. अनुलग्नक II में निर्धारित प्रारूप में अनुपालन विवरण घोषणा;
3. अनुलग्नक III में निर्धारित प्रारूप में विचलनों की सूची, यदि कोई हो;
4. अनुबंध IV में वचनपत्र;
5. अनुलग्नक V के अनुसार वाणिज्यिक बोली कवरींग पत्र;
6. अनुलग्नक VI के अनुसार वाणिज्यिक बोली प्रारूप;
7. अनुलग्नक VII में निर्धारित प्रारूप में ईसीएस अधिदेश;
8. अनुलग्नक VIII में प्रारूप में संकल्प मैट्रिक्स ;
9. अनुलग्नक IX में प्रारूप में संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता (जहां भी लागू हो) (संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए 100/- रु. के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर सही तरीके से टंकित कर प्रस्तुत करना होगा और तत्पश्चात रा.आ.बैंक की ओर से भी हस्ताक्षर किया जाएगा। निष्पादन की तारीख बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली में उल्लिखित तारीख होनी चाहिए)

प्रस्ताव हेतु अनुरोध : जंगपुरा एक्सटेंशन में फ्लैटों का सिविल, पेंटिंग, इंटीरियर एवं मरम्मत कार्य

टिप्पणी: ईएमडी और आरएफपी राशि की लागत के बिना बोलियां अस्वीकार कर दी जाएगी।

5.10 बोली मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रूपए में कोट की जाएगी। भारतीय रूपए के अलावा किसी अन्य मुद्रा में बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5.11 बयाना जमा राशि (ईएमडी)

(क) सभी बोलियां **राष्ट्रीय आवास बैंक** के पक्ष में ई-भुगतान के माध्यम से 20,000/- रूपए (बीस हजार रुपये मात्र) की प्रतिदेय ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा राशि (ईएमडी) के साथ होनी चाहिए।

खाते का विवरण निम्नलिखित तालिकानुसार है:

क्र. सं.	प्रकार	विवरण
1	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2	लाभार्थी का पता	कोर ए 5, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003
3	लाभार्थी के बैंक का नाम	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
4	लाभार्थी के बैंक की शाखा	प्रगति विहार दिल्ली शाखा, भूतल, कोर-6, स्कोप कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003
5	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6	लाभार्थी बैंक खाता सं.	52142903844
7	बैंक की शाखा का आईएफसी कोड	SBHY0020511

(ख) भुगतान का साक्ष्य संलग्न होना चाहिए तथा तकनीकी बोली लिखकर लिफाफे में रखा जाना चाहिए; जिसकी अनुपस्थिति में बोली आगे मूल्यांकन के लिए विचार नहीं की जा सकती। बोलीदाता को ईसीएस अधिदेश पत्र, जैसा अनुलग्नक-VII में संलग्न है, प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(ग) ईएमडी के बिना प्राप्त किसी भी बोली को अनुत्तरदायी माना जायेगा एवं अस्वीकार किया जायेगा।

(घ) ईएमडी से छूट हेतु अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(ङ) निश्चित करार में या इसमें प्रदान की गई या अन्यथा जमा की गई, सभी असफल बोलीकर्ताओं की ईएमडी राशि कार्य/अनुबंध सौंपने के बाद 15 दिनों या उससे पहले निविदा प्रक्रिया के पूरा होने पर पहले वापस कर दी जाएगी।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध : जंगपुरा एक्सटेंशन में फ्लैटों का सिविल, पेंटिंग, इंटीरियर एवं मरम्मत कार्य

(च) निश्चित करार में या इसमें प्रदान की गई या अन्यथा जमा की गई, सफल बोलीदाता की ईएमडी राशि कार्य के संतोषजनक निष्पादन के बाद वापस कर दी जाएगी।

(छ) ईएमडी सुरक्षा जब्त की जा सकती है:

- यदि बोलीदाता बोली वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली आहरित कर लेता;
- संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी समय यदि बोलीदाता कोई बयान देता है अथवा कोई प्रारूप संलग्न करता है जो झूठ/गलत पाया जाता है।
- सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलीदाता बैंक की संतुष्टि के लिए वस्तुओं की डिलीवरी और संस्थापना में असफल हो जाता है; तथा
- अनुबंध-पूर्व प्रमाणिकता पैकट के किसी भी उल्लंघन के मामले में।

5.12 कार्यान्वयन अनुसूची

- कार्य आरंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि कार्य दिवसों (सोमवार से शनिवार) को कार्य करने की अनुमति होगी।
 - आरंभ की तारीख- कार्य सौंपने की तिथि से तीसरे दिन या जो भी बाद में कार्य की साइट पर सौंपने की तिथि है।
- सेवाओं में किसी भी विषय के लिए अन्य ठेकेदार के साथ सहयोग की मांग निविदाकर्ता पर निहित है।

5.13 बोलियों की वैधता अवधि

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कीमतें तथा अन्य शर्तें रा.आ.बैंक द्वारा स्वीकृत हेतु वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने की तारीख से 12 माह की स्वीकृति अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
- असाधारण परिस्थितियों में रा.आ. बैंक बोलीदाताओं से वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति की मांग कर सकता है। उसके लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होगी। दी गई बोली प्रतिभूति/ईएमडी भी बढ़ा दी जाएगी।

5.14 बोली का प्रारूप तथा हस्ताक्षर

प्रत्येक बोली दो भागों में जमा होगी:

- **भाग I:** अनुलग्नक V और VI को छोड़कर सभी अनुलग्नकों की ईएमडी और आरएफपी की लागत के प्रमाण शामिल है। उपरोक्त कंटेन्ट "तकनीकी प्रस्ताव" के रूप में संदर्भित किए जाएंगे।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध : जंगपुरा एक्सटेंशन में फ्लैटों का सिविल, पेंटिंग, इंटीरियर एवं मरम्मत कार्य

- **भाग II : "वाणिज्यिक प्रस्ताव"** के रूप में संदर्भित होने के बाद केवल वाणिज्यिक बोली कवर करेंगे, जिसमें केवल अनुबंध V और VI शामिल होंगे।
- मूल बोली पक्की स्याही से टाइप की हुई या लिखित में होनी चाहिए तथा संविदा के बोलीदाता के लिए बाध्य विधिवत प्राधिकृत एक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षित होनी चाहिए। व्यक्ति अथवा व्यक्तियों जो बोली हस्ताक्षर कर रहे हैं, असंशोधित मुद्रित साहित्य के अलावा बोली के सभी पृष्ठों पर संक्षिप्त हस्ताक्षर करेंगे।

5.15 बोलियों की सीलिंग एवं चिन्हांकन

- मास्टर लिफाफे नीचे दिये पते पर रा.आ. बैंक को भेजे जाएंगे:

उप महाप्रबंधक

परिसर विभाग

मुख्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक

कोर -5ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केन्द्र

लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

सभी लिफाफों पर बोलीदाता का नाम, पता और सम्पर्क नम्बर लिखा होना चाहिए।

- बोलीदाता तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों वाले लिफाफों को अलग-अलग मुहर बंद करेगा और दोनों प्रस्तावों को एकल मास्टर लिफाफे में रखा जाएगा।
- यह लिफाफा नॉन-विंडो होना चाहिए और यथा लागू इसके ऊपर “जंगपुरा एक्सटेंशन में फ्लैटों का सिविल, पेंटिंग, इंटीरियर एवं मरम्मत कार्य हेतु तकनीकी प्रस्ताव” तथा “जंगपुरा एक्सटेंशन में फ्लैटों का सिविल, पेंटिंग, इंटीरियर एवं मरम्मत कार्य हेतु वाणिज्यिक प्रस्ताव” अलग से लिखा हो।
- यदि लिफाफे मुहरबंद और चिन्हित नहीं किया गए हों तो रा.आ.बैंक बोली के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
- ऐसी बोलियां जो ठीक प्रकार से मुहरबंद नहीं हुईं उन पर विचार नहीं किया जाएगा और अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

5.16 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

- बोलियां रा.आ.बैंक बैंक को निर्दिष्ट पते पर प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।
- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि यदि रा.आ.बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जा सकती है।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध : जंगपुरा एक्सटेंशन में फ्लैटों का सिविल, पेंटिंग, इंटीरियर एवं मरम्मत कार्य

- रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, रा.आ. बैंक की वेबसाइट की सूचना के साथ बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकती है, इस मामले में, रा.आ. बैंक और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और कर्तव्यों को पहले निर्धारित समय सीमा के अधीन किया जाएगा, इसके बाद से समय सीमा के अधीन बढ़ाया जाएगा।

5.17 विलम्ब से प्राप्त बोलियां

रा.आ. बैंक द्वारा बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद रा.आ.बैंक को प्राप्त बोलियां रद्द कर दी जाएंगी और उन्हें बिना खोले बोली दाता को लौटा दिया जाएगा।

5.18 रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

- निर्धारित तारीख और समय पर, बोलियां रा.आ.बैंक समिति द्वारा बोलीदाता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो उस निर्धारित तारीख को उपस्थित होंगे, खोली जाएंगी।

तकनीकी बोलियों खोलने का स्थान:
परिसर विभाग
मुख्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक,
कोर 5ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड,
नई दिल्ली- 110003

बोलीदाता का नाम और उपस्थिति या अपेक्षित ईएमडी, आरएफपी लागत और उसके विवेकाधिकार में रा.आ.बैंक जैसे अन्य विवरणों पर विचार किया जा सकता है जो उपयुक्त हो सकता है, तकनीकी बोली खोलने के समय घोषणा की जाएगी।

5.19 बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (फैक्स/ईमेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.20 प्रारम्भिक जांच

- रा.आ.बैंक यह देखने के लिये बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात/दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध : जंगपुरा एक्सटेंशन में फ्लैटों का सिविल, पेंटिंग, इंटीरियर एवं मरम्मत कार्य

- रा.आ.बैंक बैंक स्व निर्णयानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे बोली की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखी करने का किसी बोलीदाता की रैंकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

5.21 प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और सभी सहायक प्रलेखन तब तक रा.आ. बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ. बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा प्रलेखन लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

5.22 बोलीदाताओं को निर्देश

बोलीदाता रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति को छोड़कर रा.आ.बैंक द्वारा सौंपे गए कार्य को किसी तृतीय पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा और रा.आ.बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतें अपने स्वयं की सेवा/समर्थन अवसंरचना के द्वारा ही निपटाएगा।

5.23 कीमत संघटन एवं व्युत्पन्न

- बोलीदाता को **अनुलग्नक VI** में प्रदान किये गये प्रारूप के अनुसार यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से कीमतों को प्रस्तुत करना होगा। किसी भी विचलन की स्थिति में बोली अस्वीकार की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक बोली के अलावा किसी भी विकल्प को कोट नहीं किया जायेगा। जहां भी विकल्प दिए जाते हैं, वहां बोली अस्वीकार कर दी जाती है।
- वाणिज्यिक प्रस्ताव एक निश्चित मूल्य के आधार पर होगा।
- जीएसटी का अतिरिक्त भुगतान सांविधिक प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।
- परियोजना के कार्यान्वयन की तिथि रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित पत्र सौंपने की तिथि/लेटर ऑफ अवार्ड (प्रारंभिक तिथि) या ऐसी अन्य तिथि की स्वीकृति की तारीख होगी।
- कीमतें वाणिज्यिक बोली के खुलने की तारीख से 12 महीने के लिए वैध होंगी और बोलीदाता उसी मूल्य पर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त वस्तुओं की आपूर्ति करेगा।
- बीओक्यू में न उल्लिखित कोई भी अतिरिक्त मद/कार्य अर्थात मद/कार्य केवल अभियंता- प्रभारी के लिखित निर्देश पर संस्थापित किया जाएगा। हालाँकि, इस अतिरिक्त मद/कार्य की दर का भुगतान डीएसआर में उल्लिखित मद की न्यूनतम दर के अनुसार किया जाएगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध : जंगपुरा एक्सटेंशन में फ्लैटों का सिविल, पेंटिंग, इंटीरियर एवं मरम्मत कार्य

5.24 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

सेवा प्रदाता के पास इस आरएफपी के तहत सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए दिल्ली में उचित और पर्याप्त समर्थन तंत्र होना चाहिए।

5.25 बोली मूल्यांकन

सबसे कम परियोजना लागत प्रस्तावित करने वाली बोली (जेड: अनुलम्बक VI) को परियोजना के लिए चुना जाएगा।

5.26 संशोधन एवं वापसी

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि कोई भी बोलीदाता एक से अधिक प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है, तो ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- बोलीदाता को सूचित किया जाता है कि बोली पूर्व बैठक के बाद ही बोलियाँ प्रस्तुत करें क्योंकि एक बार प्रस्तुत की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम समय-सीमा के बाद किसी भी बोली को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता होता है तो किसी भी बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार है। किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-प्राप्ति/गैर-वितरण के लिए रा.आ.बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

5.27 कीमतों का प्रकटीकरण

वाणिज्यिक बोली के अलावा तकनीकी या बोली के अन्य भाग में किसी भी रूप में या कारण से कीमतों का उद्घाटन नहीं किया जाएगा। ऐसा करने में विफल रहने पर बोली निरस्त होने के लिए पात्र होगा।

5.28 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती हैं तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है **अनुबंध- III** के अनुसार विचलन को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने के लिए, इस आरएफपी पर लागू अनुबंध के नियम और शर्तें उनके लिए स्वीकार्य नहीं हैं। बोलीदाताओं को यह भी स्पष्ट रूप से वर्णन करना होगा कि वस्तुओं और सेवाओं को किस रूप में और किस सीमा तक विनिर्देशों और आवश्यकताओं में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार अलग से प्रस्तावित किया जा रहा है।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध : जंगपुरा एक्सटेंशन में फ्लैटों का सिविल, पेंटिंग, इंटीरियर एवं मरम्मत कार्य

5.29 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो संविदा के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

5.30 रा.आ.बैंक से संपर्क करना या बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

5.31 प्रस्ताव की सामग्री

बोलीदाताओं के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया का मुख्य विषय है। इसीलिए यह आवश्यक है कि बोलीदाता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। बोलीदाता के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में बोलीदाता की क्षमता एवं इस परियोजना में बोलीदाता की रुचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

5.32 प्रतिबंधित या सूची से निकाले गए बोलीदाता

बोलीदाता को एक घोषणा देनी पड़ती है कि उन्हें किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या उनके सहायकों द्वारा प्रतिबंधित या सूची से निकाला नहीं गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या उनके सहायकों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है तो इस तथ्य को स्पष्ट करना होगा। यदि यह घोषणा नहीं की जाती है, तो बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा। यह घोषणा तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

5.33 कानूनों का अनुपालन

(क) बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं रा.आ.बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड़, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

(ख) सफल बोलीदाता ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना/संविदा की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड़, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा और रा.आ.बैंक सलाहकार को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।

(ग) यदि रा.आ.बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत वेंडर के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(घ) यदि, किसी भी कारण से, नियोक्ता को कामगार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के आधार पर बाध्य या कार्य के निष्पादन में ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारी को मुआवजे का भुगतान करने हेतु कोई भी सांविधिक संशोधन करने या पुनः लागू करने बाध्य किया जाता है, तो नियोक्ता उक्त अधिनियम के तहत ठेकेदार के मुआवजे की राशि का भुगतान करने और मालिक के अधिकारों के लिए बिना किसी पूर्वाग्रह के हकदार होगा। नियोक्ता को इस अनुबंध या अन्यथा के तहत ठेकेदार को नियोक्ता द्वारा प्रतिभूति जमा राशियां से या किसी भी देय राशि से उसे घटाकर ऐसी राशि या उसके किसी भाग को वसूलने की स्वतंत्रता होगी।

5.34 झूठा/अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदि निविदा के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गयी उसकी निविदा की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती है तो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे:

- क. यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो उसकी कुल बयाना राशि/ईएमडी जब्त कर दी जाएगी एवं निविदा/बोली को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- ख. यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है तो रा.आ.बैंक अपने विवेक पर बैंक गारंटी के आमंत्रण समेत संविदा की समाप्ति हेतु आरएफपी में दी गई उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है।

5.35 निश्चित समझौता

प्रस्ताव हेतु अनुरोध : जंगपुरा एक्सटेंशन में फ्लैटों का सिविल, पेंटिंग, इंटीरियर एवं मरम्मत कार्य

सफल बोलीदाता पत्र सौंपने/लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) के 15 दिनों के भीतर या रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर **अनुलग्नक X** में प्रदान किये गये प्रारूप में मूलतः सेवा स्तरीय करार (एसएलए) पर हस्ताक्षर करेगा। इस आरएफपी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप करार/ करारों के निष्पादन के संबंध में सभी व्यय, स्टांप शुल्क और अन्य शुल्क/व्यय सफल बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे। बोर्ड संकल्प या मुख्तारनामा की प्रति यह प्रदर्शित करनी चाहिए कि हस्ताक्षरकर्ता को स्वीकृति पत्र, संविदा और गैर-प्रकटीकरण करार पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत प्राधिकृत किया गया है, जिसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

6. बोलियां (तकनीकी एवं वाणिज्यिक) एवं बोली के मूल्यांकन की कार्यप्रणाली

5 लाख रु. और उससे अधिक के कार्य आदेश मूल्य के लिए ट्रेड "सिविल" के तहत भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली के पैनल में शामिल वेंडर ही इस निविदा में भाग लेने हेतु पात्र हैं और किसी अन्य बोलीदाता से प्राप्त बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और आगे मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

बोलीदाता को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अपने पैनल में शामिल होने के समर्थन में अनुलग्नक IV में उल्लिखित विधिवत भरा हुआ वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

यदि यह वचनपत्र नहीं दिया जाता है, तो बोली गैर-उत्तरदायी के रूप में अस्वीकार कर दी जाएगी। यह घोषणा तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

7. वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें

बोलीदाताओं से इस परियोजना के लिए वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें नोट करने का अनुरोध किया जाता है:-

7.1 मूल्य

- क) बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमत में सभी प्रकार की लागतें शामिल होनी चाहिए।
- ख) मूल्य वाणिज्यिक कर के अनुसार सभी करों (जीएसटी को छोड़कर), कर्तव्यों, शुल्क, परिवहन, बीमा को शामिल किया जाना चाहिए।
- ग) समायोज्य मूल्य उद्धरण के साथ प्रस्तुत बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- घ) अनुबंधित दरों के आधार पर, रा.आ.बैंक अपने विवेक पर पुनः आदेश दे सकता है।

7.2 भुगतान की शर्तें

प्रस्ताव हेतु अनुरोध : जंगपुरा एक्सटेंशन में फ्लैटों का सिविल, पेंटिंग, इंटीरियर एवं मरम्मत कार्य

कोई भी भुगतान अनुलग्नक X में उल्लिखित ड्राफ्ट के अनुसार सेवा स्तरीय करार पर हस्ताक्षर करने के बाद ही जारी किया जाएगा।

1. कार्य पूरा होने की तिथि से 3 महीने की वैधता के साथ बराबर राशि की बैंक गारंटी के स्थान पर अग्रिम में कुल परियोजना लागत (अनुलग्नक VI में जेड के एवज में उद्धृत मूल्य) का 30% या रा.आ.बैंक द्वारा निर्णित अन्य विस्तारित अवधि।
2. कार्य क्षेत्र में परिभाषित सफल निष्पादन वाली कुल परियोजना लागत (खंड 7.2.1 में उल्लिखित बैंक गारंटी के एवज में किये गये भुगतान सहित) का 90%
3. दोषपूर्ण देयता अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद 10% प्रतिधारण राशि।

सफल निविदाकर्ता के मामले में, बयाना जमा राशि रा.आ.बैंक द्वारा संविदा की पूरा होने पर धारित की जाएगी और कार्य के सफल समापन पर जारी की जायेगी। हालाँकि, प्रतिधारण राशि को कार्य पूरा होने की तारीख से 27 महीने की वैधता के साथ बराबर राशि के पीबीजी के जमा करने पर जारी किया जा सकता है या ऐसी अन्य विस्तारित अवधि पर जो रा.आ.बैंक द्वारा निर्णित है।

7.3 संविदा की समाप्ति के मामले में भुगतान

आरएफपी की शर्तों के अधीन, यदि संविदा का समापन होता है तो सेवाओं के प्रति भुगतान लागू दंड और टीडीएस /अन्य लागू करों को काटने के पश्चात उस अवधि जिसके लिए वे सेवाएं दी गई हों, के लिए यथानुपात आधार पर किया जाएगा।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

www.nhb.org.in – What's New

***किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।**

XXXXXXXXXXXXX